



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227789
CG-DL-E-22062021-227789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943

No. 342]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सा.का.नि. 426(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम, 2018 में, —

(क) तीसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों में क्रम सं. 3 के सामने 'केन्द्र सरकार' शब्दों के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाएगा;

(ख) चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: —

“चतुर्थ अनुसूची

(नियम 6 देखें)

(क) ऋण वसूली अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण
2.	समूह 'ख'	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

(ख) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'क' और समूह 'ख'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/2/2016-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 535(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules to amend the Debts Recovery

Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment Rules, 2018,—

(a) in the third Schedule, against serial number 3, in the entries under Column (3), for the words “Central Government”, the word “President” shall be substituted;

(b) for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“FOURTH SCHEDULE

(See rule 6)

(A) For Debts Recovery Tribunal

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group ‘C’	Registrar, Debts Recovery Tribunal	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal
2.	Group ‘B’	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group ‘A’	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in respect of minor penalties and the Central Government in respect of major penalties.	President

(B) For Debts Recovery Appellate Tribunal:

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group ‘C’	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group ‘A’ and Group ‘B’	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in case of minor penalties and Central Government in respect of major penalties.	President.”

[F. No. 5/2/2016-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 535 (E), dated 8th June, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सा.का.नि. 427(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलौर भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलौर भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलौर भर्ती नियम, 2018 में, —

(क) तीसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों में क्रम सं. 3 के सामने 'केन्द्र सरकार' शब्दों के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाएगा;

(ख) चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: —

“चतुर्थ अनुसूची

(नियम 6 देखें)

(क) ऋण वसूली अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण
2.	समूह 'ख'	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

(ख) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण

2.	समूह 'क' और समूह 'ख'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति
----	-------------------------	--	------------

[फा. सं. 5/2/2016-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 536(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

G.S.R. 427(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018, namely: —

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018,—

(a) in the third Schedule, against serial number 3, in the entries under Column (3), for the words “Central Government”, the word “President” shall be substituted;

(b) for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely: —

“FOURTH SCHEDULE**(See rule 6)****(A) For Debts Recovery Tribunal**

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Tribunal	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal
2.	Group 'B'	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in respect of minor penalties and the Central Government in respect of major penalties.	President

(B) For Debts Recovery Appellate Tribunal:

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal

2.	Group 'A' and Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in case of minor penalties and Central Government in respect of major penalties.	President."
----	-------------------------	---	-------------

[F. No.5/2016-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 536 (E), dated 8th June, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सा.का.नि. 428(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 में, -

(क) तीसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों में क्रम सं. 3 के सामने 'केन्द्र सरकार' शब्दों के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाएगा;

(ख) चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: —

“चतुर्थ अनुसूची (नियम 6 देखें)

(क) ऋण वसूली अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण
2.	समूह 'ख'	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

(ख) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'क' और समूह 'ख'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/2/2016-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018,—

(a) in the third Schedule, against serial number 3, in the entries under Column (3), for the words “Central Government”, the word “President” shall be substituted;

(b) for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“FOURTH SCHEDULE

(See rule 6)

(A) For Debts Recovery Tribunal

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Tribunal	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal
2.	Group 'B'	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in respect of minor penalties and the Central Government in respect of major penalties.	President

(B) For Debts Recovery Appellate Tribunal:

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'A' and Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in case of minor penalties and Central Government in respect of major penalties.	President."

[F. No.5/2/2016-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 537 (E), dated 8th June, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सा.का.नि. 429(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अधमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम, 2018 में, —

(क) तीसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों में क्रम सं. 3 के सामने 'केन्द्र सरकार' शब्दों के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाएगा;

(ख) चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: —

**“चतुर्थ अनुसूची
(नियम 6 देखें)**

(क) ऋण वसूली अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण
2.	समूह 'ख'	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

(ख) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'क' और समूह 'ख'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/2/2016-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 538 (अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment Rules, 2018, namely: —

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment Rules, 2018, —

- (a) in the third Schedule, against serial number 3, in the entries under Column (3), for the words “Central Government”, the word “President” shall be substituted;
- (b) for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely: —

“FOURTH SCHEDULE

(See rule 6)

(A) For Debts Recovery Tribunal

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group ‘C’	Registrar, Debts Recovery Tribunal	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal
2.	Group ‘B’	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group ‘A’	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in respect of minor penalties and the Central Government in respect of major penalties.	President

(B) For Debts Recovery Appellate Tribunal:

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group ‘C’	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group ‘A’ and Group ‘B’	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in case of minor penalties and Central Government in respect of major penalties.	President.”

[F. No.5/2/2016-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 538 (E), dated 8th June, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सा.का.नि. 430(अ). केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 में, —

(क) तीसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों में क्रम सं. 3 के सामने 'केन्द्र सरकार' शब्दों के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाएगा;

(ख) चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: -

“चतुर्थ अनुसूची**(नियम 6 देखें)**

(क) ऋण वसूली अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण
2.	समूह 'ख'	पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

(ख) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के लिए

क्रम सं.	पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय अधिकरण
		प्राधिकरण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय

			अधिकरण
2.	समूह 'क' और समूह 'ख'	छोटी शास्तियों के संबंध में अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण और बड़ी शास्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार	राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/2/2016-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 539(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

G.S.R. 430(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals, Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018, namely: —

1. Short title and Commencement,— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018,—

- (a) in the third Schedule, against serial number 3, in the entries under Column (3), for the words “Central Government”, the word “President” shall be substituted;
- (b) for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely: —

“FOURTH SCHEDULE**(See rule 6)****(A) For Debts Recovery Tribunal**

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Tribunal	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal
2.	Group 'B'	Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in respect of minor penalties and the Central Government in respect of major penalties.	President

(B) For Debts Recovery Appellate Tribunal:

Serial Number	Post	Disciplinary Authority competent to impose penalties in accordance with rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Appellate Authority
		Authority	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'A' and Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal in case of minor penalties and Central Government in respect of major penalties.	President."

[F. No. 5/2/2016-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 539 (E), dated 8th June, 2018.